न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 14/2016 (राजसमन्द आर्डर)

श्री राजूसिंह पिता देवीसिंह जी रावत (भूतपूर्व सैनिक) निवासी बड़ावास (भग्गड़) तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भंवराराम पिता छोगाराम जी भील निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री मोतीराम पिता छोगाराम जी भील निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री हरिराम पिता छोगाराम जी भील निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री नारूराम पिता छोगाराम जी भील निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती घीसीदेवी पिता छोगाराम जी भील निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
6. तहसीलदार भीम

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) भीम दिनांक 10–6–2016
प्रकरण संख्या 42/2014 प्रार्थना पत्र

––––

उपस्थित :–1– श्री एस. एल. बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रदीप कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.–1 से 4, 5
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या –6

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 22–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का

आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम बगड़ में आराजी नंबर 407 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन हुई थी एवं तब से प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज है। इस आराजी के नये नंबर 3702/3017 बने परन्तु सेटलमेन्ट ने गलत तरीके से उक्त आराजी का पुराना न 60 बताया है। प्रार्थी उक्त भूमि पर शांतिपूर्व काबिज है। अप्रार्थी वरदी ने गलत तरीके से पटवारी से मिली–भगत कर उक्त आराजी को आवंटित करवा दी। परन्तु मौके पर उक्त आराजी नंबर 3018 पर कब्जा सिपुर्द किया गया। क्योंकि 3702/3017 मौके पर खाली नहीं था। आराजी नंबर पर ही अप्रार्थी काबिज है। आराजी नंबर 3702/3017 रकबा 4 बीघा पर अप्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी को जब से भूमि आवंटित हुई, तब से उसका ही कब्जा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी नंबर 3702/3017 रकबा 4 बीघा का विक्रय नहीं करने एवं कब्जा से बेदखल नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की तलबी में प्रकरण चल रहा था। इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–6–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
10–6–2016	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बगड़ पेश हुई। मौके पर शांति व्यवस्था रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुकार हो। निर्णय सुनाया गया। ह0/– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिल–राजसमन्द	

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10–6–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–8–2016 को पेश की। नकल देने में हुए विलम्ब 15 दिवस के कारण उक्त अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री प्रदीप शर्मा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 तहसीलदार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता तथा कयासी आधार पर मनमकसूद निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया, तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी को सुने बिना, रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये बिना, विवेक अनुपयोग किये बिना, अस्थाई निषेधाज्ञा के तत्वों का विवेचन किये बिना अत्यन्त बेहुदा निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–03–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर